

‘वविादों का समाधान’ पहल के तहत एकमुशत नपिटान योजनाएँ

चरचा में क्यों?

हाल ही में हरयािणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लयि 'वविादों का समाधान' पहल के तहत दो नई [एकमुशत नपिटान योजनाएँ](#) शुरू की ।

मुख्य बदि:

- ये योजनाएँ हरयािणा राज्य औद्योगकि एवं बुनयािदी ढाँचा वकिस नगिम (HSIIDC) की औद्योगकि मॉडल टाउनशपि और औद्योगकि संपदाओं में प्लॉट की लागत तथा बढ़ी हुई लागत के संबंध में प्लॉट (औद्योगकि, वाणजियकि, आवासीय/समूह आवास एवं संस्थागत उपयोग) के खलिाफ संबंधति वरिसत मामलों के नपिटारे हेतु आवंटन का वकिल्प प्रदान करेगी ।
 - इस योजना का उद्देश्य औद्योगकि भूखंडों के 1,000 से अधिक आवंटयिों को लाभ पहुँचाना है ।
- सरकार सोनीपत के बरही शहर में 'फूड पार्क' के आवंटयिों को एक वशिष रयायत दे रही है, जसिसे उन्हें भूखंडों के स्वामतिव को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की अनुमति मिलि जाएगी ।
- यह एकमुशत नपिटान योजना औद्योगकि भूखंडों/शेडों के साथ-साथ वाणजियकि, संस्थागत, आवासीय या समूह आवास भूखंडों या साइटों के सभी मौजूदा आवंटयिों पर लागू है, जनिहें 1 जनवरी 2021 से पहले भूखंड और साइट आवंटति की गई हैं ।
- योजना तुरंत लागू होगी और योजना का लाभ उठाने के लयि आवंटयिों को 30 जून, 2024 तक आवेदन करना होगा ।

हरयािणा राज्य औद्योगकि एवं बुनयािदी ढाँचा वकिस नगिम (HSIIDC)

- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हरयािणा राज्य द्वारा पूरण स्वामतिव वाली कंपनी के रूप में की गई थी । यह हरयािणा सरकार के उद्योग और वाणजिय वभिाग के तत्तवावधान में कार्य करता है ।
- इसके उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के औद्योगकि बुनयािदी ढाँचे का वकिस और हरयािणा राज्य में उद्योग के संवरधन तथा वकिस के लयि आवश्यक आवास एवं संबंधति सामाजकि, संस्थागत, मनोरंजन व वाणजियकि बुनयािदी ढाँचे सहतिरकीकृत उद्योग टाउनशपि/पार्क के लयि भूमिका अधगिरहण करना तथा उन्हें उपयुक्त रूप से वकिसति करना शामिल है ।